



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल Website: registrarsnpv@gmail.com

क्रमांक 2359 वित्त.स./2022

रायगढ़, दिनांक 24/01/22

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24-क (1) में निहित प्रावधान अंतर्गत राजभवन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ.3-1/2021/रास/यू-15, रायपुर, दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से माननीया कुलाधिपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के द्वारा निम्नानुसार वित्त समिति की गठन किया गया है :-

एक	विश्वविद्यालय का कुलपति	-	अध्यक्ष
(एक-क)	विश्वविद्यालय का कुलसचिव	-	सदस्य सचिव
(दो)	विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी	-	सदस्य
(तीन)	आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त संचालक से निम्न पद का न हो,	-	सदस्य
(चार)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो,	-	सदस्य
(पांच)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का ना हो	-	सदस्य

आदेशानुसार

सहायक कुलसचिव (वित्त)

रायगढ़, दिनांक 24/01/22

पृष्ठ. क्रमांक 2351/ वित्त.स./2022

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. कुलपति के निज सचिव को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. वित्त समिति के माननीय सदस्य/नामनिर्देशिती
..... को सादर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (वित्त)